न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : <u>मनोज गोयल</u> <u>अध्यक्ष</u>

निगरानी प्रकरण कमांक 1270-पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-05-2015 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार प्रकरण कमांक 02/2014-15/अ-12

रामेश्वर पिता शंकरलाल पाटीदार निवासी ग्राम दसई तहसील सरदारपुर जिला धार म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

1—गोविंद पिता मॉगीलाल पाटीदार निवासी ग्राम दसई तहसील सरदारपुर जिला धार म0प्र0 2—मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक श्री कुवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क्र.1 श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक क्र.2 शासन

ः आ दे शः

(आज दिनांक 12/10/11/ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि ग्राम दसई स्थित भूमि सर्वे कमांक 1330/1/1 रकवा 0.072 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, तहसील सरदारपुर जिला धार के

समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ-12/2014-15 दर्ज कर दिनांक 27-5-2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

आवेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा आवेदक सहित पड़ोसी कृषक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा सहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है । दिनांक 15-5-2015 को सीमांकन किये जाने संबंधी जारी सूचना पत्र में काट-पीट की गई है क्योंकि दिनांक 18-5-15 को सोमवार आता है एवं दिनांक 15-5-15 को शुक्रवार था । अतः दिनांक 18-5-15 के पूर्व ही दिनांक 15-5-15 को सीमांकन किया गया है और सूचना पत्र में काटपीट कर दिनांक 15-5-15 की गई है । तहसीलदार,द्वारा वास्तव में मौके पर कोई सीमांकन नहीं कराया जाकर फर्जी तरीके से एक जगह पर बैठकर पंचनामा आदि बनाकर यह सीमांकन आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–5–15 को प्रकरण दर्ज किया गया है और सूचना पत्र दिनांक 20-4-15 का है, जो कि संभव नहीं है । तर्क के समर्थन में 1988 आरएन 105, 2015 आरएन 14, 2010 आरएन 259, 1980 आरएन 244 एवं 1987 आरएन 391 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये । अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा विधिवत सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो कि उचित है । तहसीलदार द्वारा सभी पक्षों को सुनकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत है । प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का कोई लेना-देना नहीं है । उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

कर्मा प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिसंगत होने से निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदक द्वारा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जाकर आपित्त प्रस्तुत की गई है, जिसका उल्लेख सीमांकन पंचनामा में है, परंतु तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक की आपित्तियों पर विचार किये सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जबिक तहसीलदार का कर्त्तव्य था कि वह उठाई गई आपित्तियों का समुचित निराकरण करते । स्पष्ट है कि उक्त कारण से ही तहसीलदार का आदेश जो अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील सरदारपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-5-2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

on

(मनोज गोयुल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर